प्राक्कथन

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वित्त वर्षों 2013-14 से 2016-17 में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के द्वारा पूर्ण किये गए 'रियल एस्टेट क्षेत्र के निर्धारितियों के आकलन' की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो 2013-14 से 2016-17 की अवधि की अगस्त 2017 से जनवरी 2018 और जुलाई-अगस्त 2018 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।